सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक *27*, शुक्रवार, *शाके* 1944-नवम्बर 18, 2022 *Kartika 27, Friday , Saka 1944- November 18, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2022

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2021पार्ट1 :-यतः राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदेशव्यापी हडताल का आव्हान किया गया हैा यह कि राज्य सरकार का यह विचार है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राज्य सरकार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप धारा- (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) एवं (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 17-11-2022 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

2537

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।